इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238] भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 मई 2011—वैशाख 12, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. एफ.-22-15-2005-एक-10.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में हुई अनियमितताओं की जांच के लिये, जांच आयोग की नियुक्ति से संबंधित "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 08 फरवरी, 2008 में प्रकाशित विभागीय समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 08 फरवरी, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 में शब्द "तीन माह" के स्थान पर, शब्द "इक्यावन माह" स्थापित किये जायें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. एफ. 22-15-2005-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की उक्त समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 02 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd May 2011

No. F. 22-15-2005-I-10.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification of Even No. Dated 8th February 2008 Which was published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", Dated 8th February 2008 Regarding appointment of Commission of Inquiry to inquire into irregularities in the implementation of Social Security Pension and National old age pension Scheme in the State, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in para 3, for words "three months", the words " Fifty one months" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DASHRADH KUMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.